

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2080 / 2013 / जोधपुर

मैसर्स जेठमल एण्ड ब्रदर्स
ई-8, मण्डोर, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री पी.एम.चौपडा

अभिभाषक

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 10.09.2015

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2013, जो अपील संख्या 30/सीएसटी/जेयूए/13-14 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 सपष्टित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(8)(बी) के तहत पारित आदेश दिनांक 21.05.2012 के द्वारा सृजित मांग रु. 74,675/- आरोपित यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2003-04 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 15.09.2005 को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपष्टित धारा 29 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत पारित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अभिकर्ता को विक्रयार्थ भेजे गये माल के प्रमाण स्वरूप घोषणा प्ररूप "एफ" प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें स्वीकार कर, इसे अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं होना मानकर, करारोपण से कटौती निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात्, रिकॉर्ड का पुनः अवलोकन कर, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि इस संबंध में "विधिक भूल" हो गयी है क्योंकि केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवम् टर्न ओवर) नियम, 1957 के नियम 12(5) के प्रावधानों के आलोक में घोषणा प्ररूप "एफ" प्रत्येक माह के लिये प्रेषित माल का पृथक-पृथक प्रस्तुत होना बाध्यकारी है। अतः उक्त "भूल के सुधार"

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1103/2009/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2010 पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1103/2009/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2010, जो अपीलार्थी से ही सम्बन्धित थी, में पारित निर्णय के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा है। एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2010 को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

“.....इस संबंध में जहां तक अधिनियम की धारा 37 की परिधि का प्रश्न है, निर्धारण अधिकारी विधिक भूल होने की दशा में, इन प्रावधानों के अन्तर्गत भूल सुधार हेतु सुनवायी का मौका प्रदान कर, भूल सुधार कर सकता है। अतः उक्त प्रकरण मत भिन्नता का नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषित विक्रय के समर्थन में जो घोषणा प्ररूप “एफ” प्रस्तुत किये हैं, वे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवम् टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(5) के प्रथम परन्तुक के अनुसार नहीं है, जैसा कि उक्त नियम के परन्तुक के प्रावधान इस प्रकार है :—

Rule 12(5):- The declaration referred to in sub-section (1) of the Section 6A shall be in FORM F.

Provided that a single declaration form may cover transfer of goods, by a dealer, to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be, effected during a period of one calendar month.

उक्त नियम के प्रावधानों के परन्तुक के अनुसार, घोषणा प्ररूप “एफ” में ‘एक कलेण्डर माह के’ संव्यवहार ही दर्ज किये जा सकते हैं। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इस प्रकार की भूलों को तकनीकी भूलें होना अवधारित किया है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी ने (1987) 64 एस.टी.सी. 449 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम कन्हैया लाल मोहनलाल के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में घोषणा प्ररूप एस.टी. 17 की व्यवस्था को घोषणा प्ररूप “एफ” के प्रावधानों के मामलों में लागू किया जाना उचित नहीं है क्योंकि घोषणा प्ररूप एस.टी. 17 के मामले में राज्य के भीतर विक्रय करने की परिस्थितियां मौजूद थीं जबकि वित्त अधिनियम, 2002 के जरिये दिनांक 11.05.2002 से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6A को संशोधित कर घोषणा प्ररूप

“एफ” की प्रस्तुति बाध्यकारी कर दी गयी है तथा घोषणा प्ररूप “एफ” प्रस्तुति के अभाव में इसे अन्यथा विक्य मान लिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। उक्त संशोधन के पूर्व घोषणा प्ररूप “एफ” प्रस्तुत करना बाध्यकारी नहीं था। अतः उक्त विधिक स्थिति के मद्देनज़र, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6A के तहत शाखा अन्तरण, एजेन्ट अथवा मालिक के जरिये विकार्यार्थ भेजे गये माल पर करारोपण से छूट पाने के लिये विधिक घोषणा प्ररूप “एफ” की प्रस्तुति बाध्यकारी है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 6A के प्रावधानों को उद्धरित करना उचित है, जो इस प्रकार है:—


धारा 6A :— “Where any dealer claims that he is not liable to pay tax under this Act, in respect of any goods, on the ground that the movement of such goods from one State to another was occasioned by reason of transfer of such goods by him to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be and not by reason of sale, the burden of proving that the movement of those goods was so occasioned shall be on that dealer and for this purpose he may furnish to the assessing authority, within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit, a declaration, duly filled and signed by the principal officer of the other place of business, or his agent or principal, as the case may be, containing the prescribed particulars in the prescribed form obtained from the prescribed authority, along with the evidence of dispatch of such goods and if the dealer fails to furnish such declaration, then the movement of such goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale”.

उपर्युक्त वर्णित ताजा विधिक स्थिति के आलोक में पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रावधानों के अनुरूप विहित घोषणा प्ररूप “एफ” प्रस्तुत करना प्रत्यर्थी व्यवहारी के लिये बाध्यकारी है अन्यथा वह इस संबंध में करारोपण से छूट पाने का हकदार नहीं है। चूंकि विधिक रूप से पूर्ण घोषणा प्ररूप “एफ” ₹ 0 9,66,491/- के प्रस्तुत नहीं हुये है, जो नियम 12(5) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। न्यायहित में प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी इस आदेश तिथि के 3 माह में नियम 12(5) के प्रावधानानुसार, विधिक घोषणा प्ररूप “एफ” प्रत्येक माह के लिए पृथक—पृथक प्रस्तुत कर दे तो इनकी जांच कर इन्हें सही पाये जाने की

दशा में नियमानुसार करारोपण व अनुवर्ती ब्याज आरोपण से प्रत्यर्थी व्यवहारी को राहत प्रदान की दी जाये अन्यथा निर्धारण अधिकारी इस संबंध में कायम की गयी मांग राशियों को पुनर्स्थापित कर वसूली की कार्यवाही करें, उक्त निर्देशों की अनपालना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

उपरोक्तानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य